न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :—हेमराज गुर्जर (आरएएस)

दायर दिनांकः—03.07.2018

प्रकरण सख्याः—54 / 2018

जीसीएमएस नं. 2018 / 00154

1. तेजसिंह उम्र 49 साल
2. सन्तोष उम्र 44 साल
3. विक्रम उम्र 38 साल

} पिसरान रूपी जाति जाट निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली।

4. किरण उम्र 69 साल पत्नि श्री रूपी, जाति जाट निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली।

———सायलान—04

बनाम

1. अनुप पुत्र शिवदेन उम्र 53 साल
2. तिमनसिंह उम्र 55 साल } पि. मुन्नीलाल
3. रोहताश उम्र 30 साल }
4. दिलीप सिंह उर्फ दलेल उम्र 51 साल पुत्र नेमीचंद
5. खरगी उम्र 49 साल पुत्र नेमीचंद
6. अरूण सिंह उम्र 33 साल } पि. अनूपसिंह
7. रामोतार उम्र 20 साल }
8. जसवंत उर्फ भूरा उम्र 30 साल } पि. दिलीप
9. जयसिंह उम्र 35 साल }
10. राजवीर उर्फ राजू उम्र 28 साल } पि. खरगी
11. लेखेन्द्र उर्फ रामू उम्र 26 साल }
12. बरफी उम्र 56 साल पत्नि मुन्नीलाल

} जाति जाट निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

———गैरसायलान—12

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित—1. श्री नरेन्द्र सिंह जादौन अधिवक्ता सायलान

2. श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांकः— 22-11-24

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने जरिए वकील खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी [illegible] 1955 की धारा 212 के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आराजी खाता [illegible] 8 खसरा नं0 397 रकबा 0.34 है0, 784 रकबा 0.21 है., 812 रकबा 0.42 है0, 821 रकबा 0.55 है0, 825 रकबा 0.[illegible] 826 रकबा 0.03 है0, 832 रकबा 0.35 है0, 834 रकबा 0.11 है. 835 रकबा 0.41 है0 कुल [illegible]ता 9 कुल रकबा 2.63 है0 स्थित ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली में स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:13 IST
Reason: SelfAttested

भूमि मुतजिक़ा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में सायलान हमेशा से फसल काश्त कर लाभान्वित होते रहे है। इस वर्ष उक्त आराजी में सायलान ने फसल बाजरा व तिल काश्त की है। सायलान की उक्त आराजी से गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध या वास्ता किसी प्रकार से नहीं है।

गैरसायलान द्वारा सायलान की कृषि भूमि पर वर्ष 2017 में मेड को तोडकर अवैध अतिचार कर सायलान को फसल काश्त करने में व्यवधान पैदा किया इस पर सायलान द्वारा गैरसायलान में से अनुप, तिमन, रोहतास, दिलीप, खरगी व अन्य के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र तहत धारा 111 भू राजस्व अधिनियम 1956 बावत पत्थरगढी जरिये पुलिस इम्दाद पेश किया जिस पर उक्त प्रकरण स. 28/2017 में दिनांक 10.08.2017 को न्यायालय द्वारा सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार हिण्डौन को अपनी टीम के साथ सीमाज्ञान करवाकर, पुलिस सहयोग से पत्थर गढी करवाने के आदेश दिये उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा तीन थानों के पुलिस जाब्ते एवं पटवारी गिरदावर के सहयोग से 11.01.2018 को भूमि खसरान 832, 834, 835 को मौके पर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाई गई, प्रशासन की उक्त विधिक कार्यवाही से गैरसायलान सायलान व उनके परिवार से रंजिस रखते है।

सायलान द्वारा दिनांक 30.06.2018 को अपनी खातेदारी भूमि खसरा न0 832 व 834 में फसल बाजरा काश्त की दिनांक 01.07.2018 को समय करीब सायं 4:00 बजे गैरसायलान द्वारा गिरोह बनाकर सायलान की उक्त बूबी हुई फसल बाजरे को अवैध अतिचार कर पलतने के लिये ट्रेक्टर से जोत लगाई, पत्थर गढी के पत्थर, तार व पेडों को चोरीकर ले गये, कुछ को तोडकर पटक गये, सायलान द्वारा मना करने पर सायलान को नाजयाज तौर पर बेदखल कर कब्जा कर फसल काश्त कर दरोह करने में व्यवधान पहुचने की स्पष्ट धमकी दी। इस कारण से सायलान को प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैरसायलान पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा इस अम्र से पावंद फरमाया जावे कि वे सायलान की खातेदारी, कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की भूमि खाता संख्या 48 खसरा न0 397 रकबा 0.34 है0, 784 रकबा 0.21 है., 812 रकबा 0.42 है0, 821 रकबा 0.55 है0, 825 रकबा 0.21 है0, 826 रकबा 0. 03 है0, 832 रकबा 0.35 है0, 834 रकबा 0.11 है 835 रकबा 0.41 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.63 है0 स्थित ग्राम जमालपुर तहसील हिण्[illegible] जि[illegible] करौली के उपयोग उपभोग सुधार एवं कब्जे काश्त में सायलान को गैरसायलान [illegible] किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, और ना ही उक्त भूमि में अनाधिकृत रूप से [illegible]श कर सायलान या उनके प्रतिनिधि को आवश्यक कार्य करने से अवरोधित करे, और ना हि ऐसा कोई कृत्य करे जिससे सायलान के उक्त भूमि के संबंध में प्राप्त विधिक अधिकारों के उपयोग उपभोग में कोई विपरीत प्रभाव

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:13 IST
Reason: SelfAttested

पडे, सायलान को उक्त भूमि में शांतिपूर्ण तरीके से काश्त सुधार व अन्य आवश्यक कार्य करने दें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान की ओर से को श्री हरिवल्लभ चतुर्वेदी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं 24.10.2024 को जवाब पेश किया जो निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थना पत्र का मद न0 1 गलत है, अस्वीकार है। सायलान को दावे में सफलता के आसार बिल्कुल नहीं है।
2. प्रार्थना पत्र का मद न0 2 गलत है, अस्वीकार है।
3. प्रार्थना पत्र का मद न0 3 गलत है, अस्वीकार है।
4. प्रार्थना पत्र का मद न0 4 गलत है, अस्वीकार है।
5. प्रार्थना पत्र का मद न0 5 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है। अस्वीकार है।
6. प्रार्थना पत्र का मद न0 06 जिस प्रकार लिखा गया है, गलत है, अस्वीकार है।
7. प्रार्थना पत्र का मद न0 7 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है। अस्वीकार है।
8. प्रार्थना पत्र का मद न0 8 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है। अस्वीकार है।
9. प्रार्थना पत्र का मद न0 9 गलत है, अस्वीकार है।

सायलान का विवादित आराजीयात से कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। बल्कि गैरसायलान का कब्जा काश्त है। उक्त आराजीयात में गैरसायलान ने फसल काश्त की है। तथा फसल को गैरसायलान द्वारा ही वरोह किया गया है। तथा गैरसायलान की खातेदारी की भूमिया है एवं कब्जे के अभाव में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा काबिले खारिज योग्य है। जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 48 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन, फोटो प्रति नक्शा ट्रैस, फोटोप्रति खसरा गिरदावरी वाके ग्राम जमालपुर, न्यायालय हाजा निर्णय दिनांक 10.08.2017 की सत्यापित प्रति, न्यायलय हाजा के पत्रांक 2057 दिनांक 11.08.2017 की सत्यापित प्रति, फर्द मौका रिपोर्ट 01.01.2018, फोटो प्रति FIR NO 272/18 PS सदर हिण्डौन सिटी पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है, जबकि गैरसायलान वकील द्वारा अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराया और सायलान का प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:13 IST
Reason: SelfAttested

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 48 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन, फोटो प्रति नक्शा ट्रैस, फोटोप्रति खसरा गिरदावरी वाके ग्राम जमालपुर खातेदारी सायलान के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं

गैरसायलान का उक्त विवादित आराजीयात से कोई ताल्लुक या सरोकार नहीं है। जिससे प्रकरण चश्मुखी सायलान के पक्ष में साबित होता है। अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान को दौराने दावा पेचिदगियाँ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढ़ने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैरसायलान बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 03.07.2018 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के तायफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 397, 784, 812, 821, 825, 826, 832, 834, 835 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति तायफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 22-11-24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:13 IST
Reason: SelfAttested